मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: /8/2015

सं शो ध न आ दे श

क्र: एफ 11-26/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-26/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 28-07-2015 से जारी "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के नियम 9 में किये गये आंशिक संशोधन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1 उक्त आदेश की कंडिका- 4 निम्नानुसार पढी जावे-

"4. विद्यमान नियम 9(vi) के पश्चात निम्नानुसार नया नियम 9(vii) अत: स्थापित किया जाता है :-

"9(vii)- विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मडल से अनुमोदन आवश्यक होगा।"

2. विद्यमान नियम 9(iv) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाता है :-

"परंतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु अनुमानित वार्षिक संधारण व्यय का आंकलन करेगें तथा इसे समानुपातिक रूप से कुल आवंटन योग्य क्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर अथवा 10 रू. प्रति वर्गमीटर के आधार पर गणित किया जावेगा, इनमें जो भी कम हो, आवंटी द्वारा उसे आवंटित क्षेत्रफल पर वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्र0: एफ11-26/2015/बी-ग्यारह: भोपाल, दिनांक : 21 /8/2015

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड/मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग